न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

J. O. Code–UP 2735,

UPBH010033752026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1178/12A/2026

संदीप राजभर आयु करीब 31 वर्ष पुत्र सुरेश राजभर, निवासी ग्राम मंझाव, थाना मोतीपुर, जनपद बहराइच।

–––––आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य। ––––––––––विपक्षी।

अपराध संख्या–198/2026
धारा–64(1), 115(2)बी.एन.एस.
व धारा 3(2)(v) एस०सी०/एस०टी० एक्ट
थाना–मोतीपुर, जनपद बहराइच।

29.06.2026

1– यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त संदीप राजभर पुत्र सुरेश राजभर, निवासी ग्राम मंझाव, थाना मोतीपुर, जनपद बहराइच की ओर से अपराध संख्या 198/2026, अन्तर्गत धारा64(1), 115(2) बी.एन.एस. व धारा 3(2)(v) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना मोतीपुर, जनपद बहराइच के प्रकरण में जमानत पर अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। नोटिस वादी मुकदमा पर तामील है।

2– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से पैरोकार लालपरी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में यह कथन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र प्रथम है तथा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ या किसी अन्य न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने कोई भी अपराध नहीं किया है। अभियुक्त दिनांक 24.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का है। आज दिनांक 18.05.2026 को समय 11.00 बजे प्रार्थी की पत्नी/पीड़िता उम्र करीब 32 वर्ष खेत में चारा काटने गयी थी साथ में प्रार्थी की बेटी ममता उम्र करीब 08 वर्ष भी गयी थी। विपक्षी संदीप राजभर पुत्र सुरेश राजभर निवासी मंझाव थाना मोतीपुर जनपद बहराइच खेत पर आया और प्रार्थी की पत्नी को झाड़ी में ले गये और जबरन बलात्कार किया और प्रार्थी की बेटी को भी मारा पीटा। प्रार्थी की पत्नी/पीड़िता बेहोश हो गयी थी। जब उसको होश आया तब घर आकर प्रार्थी को पूरी बात बतायी। सूचना को आया हूं। अतः निवेदन है कि अग्रिम विधिक कार्यवाही करने की कृपा करें।

4– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्त द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा प्रार्थी/अभियुक्त को फर्जी तरीके से रंजिशन फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से लिखायी गयी है लेकिन विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण दर्शित नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने न तो किसी को मारा पीटा और न ही किसी प्रकार की जातिसूचक गालियां ही दी है। प्रार्थी/अभियुक्त को कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सत्यता यह है कि शपथनी का बड़ा पुत्र संतोष पुत्र राजभर अपनी ससुराल रामवचन पुरवा दा० मझरा थाना कोतवाली मुर्तिहा जनपद

बहराइच में आवासरत है। दिनांक 18.05.2026 को समय करीब 07 बजे शपथनी के पौत्र पवन कुमार व सोहन चेन्नई से बाद मजदूरी घर आते समय ऊचगांव भरहेटा थाना ईशानगर जनपद लखीमपुर खीरी में मैजिक संख्या यू०पी० 31 ए टी/0449 व ट्रक संख्या यू०पी० 14 एच टी/5117 से दुर्घटना में आयी चोटों के कारण मृत्यु हो गयी थी। दुर्घटना की सूचना पर शपथनी स्वयं व लड़का संदीप व परिवार के अन्य लोग सुबह 08 बजे मझरा पहुंच गये थे सभी के पास मोबाइल मौजूद था। दिनांक 18.05.2026 को ही समय करीब 02 बजे थाना मोतीपुर पुलिस चौकी इंचार्ज जालिम नगर श्री नवनीत भाष्कर पहले मंझाव गये वहाँ पर ताला बन्द होने की वजह से मझरा स्थित संतोष के घर आये और संदीप को जबरिया गिरफ्तार करके मोतीपुर लेकर चले गये। परिवार के लोग कारण पूंछते रहे मगर किसी भी पुलिस वाले ने कोई कारण नहीं बताया। दाह संस्कार के बाद शपथनी थाना मोतीपुर व क्षेत्राधिकारी मिहीपुरवा के समक्ष उपस्थित हुई तब पता चला कि शपथनी के पौत्र संदीप के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या उपरोक्त साजिशन शपथनी के गांव के ही हीरामन व अक्षयवर लाल कनौजिया व सावित्री बाई फूले पूर्व सांसद से साजिश रचकर मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि मु०अ०सं० उपरोक्त की तथाकथित पीड़िता रंजू पत्नी हीरामन ने एक अन्य मु०अ०सं० 510/2025 अन्तर्गत धारा 137(2) बी.एन.एस. थाना मोतीपुर में शपथनी के पुत्र संदीप प्रार्थी/अभियुक्त व मनोज उर्फ बब्बी के खिलाफ पंजीकृत कराया था जिसमें शपथनी के पौत्र की न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. प्रथम बहराइच द्वारा अग्रिम जमानत पर रिहा किया जा चुका है। जांच का विषय है कि शपथनी का पौत्र अभियुक्त संदीप तथाकथित पीड़िता की पुत्री मनीषा कुमारी को बहला फुसलाकर भगाया गया उसके बाद पुनः तथाकथित पीड़िता के साथ बलात्कार करना असम्भव प्रतीत होता है तथा शपथनी के पुत्र संतोष के सगे बड़े भाई के दो पुत्रों की दुर्घटना में मौत होने के उपरान्त इस प्रकार का जघन्य अपराध किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। यह भी तर्क दिया गया कि घटना दिन के 11 बजे की है उस समय खेत में व अगल बगल काफी व्यक्तियों का आना जाना व चहल कदमी रहती है यदि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा तथाकथित पीड़ित के साथ जबरदस्ती की थी तो उसके द्वारा शोर किया जाता और विरोध किया जाता लेकिन कथित पीड़िता द्वारा ऐसा नहीं किया गया। यह भी तर्क दिया गया है प्रथम सूचना रिपोर्ट व बयान 180 बी.एन.एस.एस. में काफी विरोधाभास है। कथित पीड़िता को बेहोश होना बताया गया है जबकि उसके साथ उसकी 8 साल की लड़की मौजूद थी यदि तथाकथित पीड़िता बेहोश होती तो उसकी लड़की शोर करती और घर पर जाकर तुरन्त सूचना देती लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त घर का अकेला व्यक्ति है कोई पैरोकार मुकदमा नहीं है। पूरा परिवार दो–दो मौत होने से शोक संतप्त है। प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 24.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी जमानत देने को तैयार है।

5– अभियोजन की तरफ से तर्क दिया गया कि अभियुक्त पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध जद्यन्य एवं गम्भीर है। अभियुक्त जमानत पाने का अधिकारी नहीं है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाये।

6– मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा सम्बन्धित प्रपत्रों का परिशीलन किया।

7– केसडायरी व संलग्न प्रपत्रों का अवलोकन सम्यक रूप से किया गया। आवेदक/अभियुक्त का वादी मुकदमा की पत्नी के साथ आवेदक/अभियुक्त व सह अभियुक्तों ने जबरन बलात्कार (गैंगरेप) व उसकी पुत्री को मारने पीटने का अभियोग है। जिसके सम्बन्ध में केसडायरी के पर्चा संख्या 1 में तहरीर के अनुसार दिनांक 18.05.2026 को समय 11.00 बजे वादी मुकदमा की पत्नी/पीड़िता उम्र 32 वर्ष खेत में चारा काटने गयी, उसके साथ उसकी पुत्री उम्र

08 वर्ष थी वहीं पर आवेदक/अभियुक्त ने अपने अन्य साथियों के साथ वादी मुकदमा की पत्नी/पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार किया जिसके सम्बन्ध में वादी मुकदमा हीरामन व वादी मुकदमा की पुत्री का बयान केसडायरी के पर्चा संख्या 1 में ही अंकित किया जिसमें घटना का समर्थन किया। पीड़िता के धारा 180 व 183 बी.एन.एस.एस. में कथन किया है कि वे दिनांक 18.05.2026 को समय करीब 8.30 बजे दिन लड़की के साथ घास काटने नन्दलाल के खेत में गयी पीछे से संदीप पुत्र सुरेश, निरहुवा पुत्र हरीराम और संदीप के जीजा जिनका नाम नहीं पता है, उसे सर पर चोट मारकर गिरा दिया और उसके साथ बलात्कार किया। जबकि उसकी लड़की चिल्लाते हुए आयी तो उसका गला दबाकर गिरा दिया उसके गुप्तांग में संदीप ने शराब वाली कांच की बोतल जिसमें लकड़ी घूसी थी डाल दी जिसे गांव के सत्तन की औरत ने निकाला। केसडायरी के पर्चा संख्या 3 में गवाह श्रीमती संवारी देवी ने बयान में कहा है कि उसने देखा की पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में बोतल घुसी थी। लीलावती व श्रीमती बड़की पत्नी अशोक ने भी देखने व बयान का समर्थन किया है। सत्तन की पत्नी के द्वारा पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से कांच की बोतल निकालना कहा है। गवाह विमला पत्नी सत्तन ने अपने बयान में कहा है कि जिस दिन की घटना हीरालाल उर्फ हीरामन की पत्नी/पीड़िता बता रही है कि ''उस दिन मैं घर से इधर ही कुछ काम से आ रही थी रास्ते में ही गांव की संवारी देवी पत्नी शिवधर व बड़की पत्नी अशोक मिल गयी। इन लोगों ने बताया कि हीरालाल उर्फ हीरामन की पत्नी की तबियत खराब है फिर मैं उन लोगों के साथ गांव गयी और हीरामन के घर हाल चाल लेने चली गयी वहाँ गया तो देखा कि पीड़िता घर पर लेटी हुई थी उनके प्राइवेट पार्ट में बोतल घूसा पड़ा था जिसे मैंने ही निकाला। उस समय पीड़िता बतायी कि मेरे साथ गांव के संदीप पुत्र सुरेश अपने कुछ साथियों के साथ आकर बलात्कार किया और प्राइवेट पार्ट में कांच की सीसी घूसा दिया था।'' मेडिकल रिपोर्ट दिनांकित 19.05.2026 में लैंगिक हमला से होने से नहीं कहा जा सकता की राय दी है। साथ ही वादी मुकदमा की पुत्री का मेडिकल में पूरे शरीर में दर्द होना व उसके साधारण चोटे एक दिन पूर्व की किसी कुन्दालय से कारित किया जाना आया है। अभियुक्त संदीप राजभर के विरुद्ध पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार करने, मार–पीट करने तथा जातिसूचक गालियां देने का गम्भीर आरोप है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है।

8– अतः अपराध की प्रकृति, गम्भीरता तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का कोई न्यायोचित आधार प्रतीत नहीं होता है एवं प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त संदीप राजभर पुत्र सुरेश राजभर द्वारा अपराध संख्या 198/2026, अन्तर्गत धारा 64(1),115(2) बी.एन.एस. व धारा 3(2)(v) एस०सी०/एस०टी०एक्ट, थाना मोतीपुर, जनपद बहराइच में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(पवन कुमार शर्मा–II)
विशेष न्यायाधीश,(एस०सी०/एस०टी० एक्ट),बहराइच।

दिनांकः 29.06.2026